सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति

(2022-2023)

सत्रहवीं लोक सभा

123

एक सौ तेईसवां प्रतिवेदन

[विद्युत मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण प्रतिष्ठान (एनपीटीआई), फरीदाबाद के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में विलम्ब]

(03.04.2023 को प्रस्तुत किया गया)

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

मार्च 2023/ चैत्र 1945(शक)

विषय सूची

पृष्ठ सं.

सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति (2022-2023) की संरचना		**(iii)**
प्राक्कथन		**(v)**
प्रतिवेदन		
विद्युत मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण प्रतिष्ठान(एनपीटीआई), फरीदाबाद के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में विलम्ब		1
परिशिष्ट		
परिशिष्ट-एक	विद्युत मंत्रालय द्वारा वर्ष 2012-2013 से 2021-2022 के लिए राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण प्रतिष्ठान (एनपीटीआई), फरीदाबाद को प्रदत्त अनुदानों के ब्यौरे दर्शाने वाला विवरण।	12
परिशिष्ट-दो	राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण प्रतिष्ठान(एनपीटीआई), फरीदाबाद के वर्ष 2015-2016 से 2020-2021 तक के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने की तिथियों को दर्शाने वाला विवरण।	13
परिशिष्ट-तीन	राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण प्रतिष्ठान(एनपीटीआई), फरीदाबाद के वर्ष 2012-2013 से 2021-2022 तक के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को अंतिम रूप दिए जाने से संबंधित कालक्रमानुसार विवरण।	14
परिशिष्ट-चार	सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति (2021-2022) की दिनांक 25.07.2022 को हुई बारहवीं बैठक के कार्यवाही सारांश के उद्धरण।	20
परिशिष्ट-पांच	सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति (2022-2023) की 29.03.2023 को हुई चौथी बैठक के कार्यवाही सारांश के उद्धरण।	23

सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति की संरचना

लोक सभा

(2022-2023)

श्री गिरीश चन्द्र - सभापति

सदस्य

2. डॉ. शफ़ीकुर्रहमान बर्क
3. डॉ. ए. चेल्लाकुमार
4. श्री पल्लब लोचन दास
5. श्री चौधरी मोहन जटुआ
6. चौधरी महबूब अली कैसर
7. डॉ. अमोल रामसिंह कोल्हे
8. श्री मारगनी भरत
9. श्री जामयांग शेरिंग नामग्याल
10. श्रीमती अपरूपा पोद्दार
11. श्री टी.एन. प्रथापन
12. श्री एस. रामलिंगम
13. श्री सप्तगिरी शंकर उलाका
14. श्री वाई॰ देवेन्द्रप्पा
15. श्री अशोक कुमार यादव

सचिवालय

1. श्री विनय कुमार मोहन - संयुक्त सचिव
2. श्री नवल के. वर्मा - निदेशक
3. श्री उत्तम चंद भारद्वाज - अपर निदेशक

प्राक्कथन

मैं, सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति (2022-23) का सभापति, समिति द्वारा उसकी ओर से इस प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत किए जाने पर, विद्युत मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण प्रतिष्ठान (एनपीटीआई), फरीदाबाद के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में विलंब से संबंधित समिति का यह एक सौ तेईसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

2. सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति के 08 मार्च, 1976 को सभा में प्रस्तुत किए गए पहले प्रतिवेदन (5वीं लोक सभा) और समिति के 12 मई, 1976 को प्रस्तुत किए गए दूसरे प्रतिवेदन (5वीं लोक सभा) तथा समिति के 22 दिसम्बर, 1977 को प्रस्तुत किए गए दूसरे प्रतिवेदन (छठी लोक सभा) में की गई सिफ़ारिशों के संदर्भ में, सभी सांविधिक/स्वायत्त संस्थानों, कंपनियों, सरकारी उपक्रमों, निगमों, संयुक्त उद्यमों, सोसाइटियों, आदि के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को लेखा वर्ष की समाप्ति के नौ माह के भीतर अर्थात 31 दिसंबर तक सभा पटल पर रखना आवश्यक होता है।

3. समिति द्वारा की गई संवीक्षा से पता चला कि एनपीटीआई, फरीदाबाद के वर्ष 2012-2013 से 2020-2021 के दस्तावेज बारंबार विलंब के साथ लोक सभा में प्रस्तुत किए गए थे। वर्ष 2021-22 के दस्तावेज निर्धारित समय के भीतर लोक सभा में प्रस्तुत किए गए थे। समिति ने दिनांक 25.07.2022 को हुई अपनी बैठक में एनपीटीआई, फरीदाबाद के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में विलंब के मामले पर विचार किया और विद्युत मंत्रालय के प्रतिनिधियों का मौखिक साक्ष्य लिया।

4. समिति ने 29.03.2023 को हुई अपनी बैठक में इस प्रतिवेदन पर विचार किया और इसे स्वीकार किया।

5. समिति, एनपीटीआई, फरीदाबाद और विद्युत मंत्रालय के अधिकारियों को समिति के समक्ष लिखित उत्तर और अन्य सामग्री/जानकारी प्रस्तुत करने के लिए धन्यवाद देती है।

6. समिति से संबद्ध लोक सभा सचिवालय के अधिकारियों द्वारा दी गई बहुमूल्य सहायता के लिए समिति उनकी सराहना करती है।

7. समिति की टिप्पणियों/सिफारिशों को प्रतिवेदन के अंत में मोटे अक्षरों में मुद्रित किया गया है।

नई दिल्ली
29 मार्च 2023
चैत्र 8, 1945 (शक)

श्री गिरीश चन्द्र
सभापति
सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति
लोक सभा

<u>सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति (2022-2023)</u>

<u>प्रतिवेदन</u>

<u>विद्युत मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण प्रतिष्ठान (एनपीटीआई), फरीदाबाद के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में विलम्ब</u>

एनपीटीआई, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत एक स्वायत्त निकाय है, जिसकी स्थापना एक सोसायटी के रूप में की गई है जो हरियाणा रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन ऑफ़ सोसाइटीज एक्ट, 2012 के अंतर्गत पंजीकृत है। एनपीटीआई की देश भर में ग्यारह इकाइयां हैं। एनपीटीआई की स्थापना भारत सरकार द्वारा भारत में बिजली क्षेत्र के कर्मियों के मानव संसाधन विकास के लिए राष्ट्रीय शीर्ष निकाय के रूप में कार्य करने के लिए की गई थी।

एनपीटीआई के पास थर्मल, हाइड्रो और नवीकरणीय संयंत्रों, ट्रांसमिशन और वितरण प्रणालियों और बिजली और संबद्ध ऊर्जा क्षेत्रों के अन्य क्षेत्रों की जरूरतों को पूरा करने वाले तकनीकी और प्रबंधन विषयों पर विभिन्न पाठ्यक्रमों के संचालन के लिए अवसंरचनात्मक सुविधाएं हैं। इसके पास बिजली क्षेत्र में प्रशिक्षण और मानव संसाधन विकास की पांच दशकों से अधिक की पेशेवर विशेषज्ञता है।

2. समिति ने मंत्रालय से उस अधिनियम, नियम और विनियम के बारे में बताने के लिए कहा जिसके अंतर्गत एनपीटीआई, फरीदाबाद के पत्र सभा पटल पर रखे जा रहे हैं। मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में निम्नवत बताया:-

"सामान्य वित्तीय नियमों के अनुसार एवं एनपीटीआई के नियमों और विनियमों के खंड 57 के अनुसार भी एनपीटीआई के वार्षिक प्रतिवेदन और लेखापरीक्षित लेखे सभा पटल पर रखे जा रहे हैं।"

3. समिति ने मंत्रालय से एनपीटीआई के वार्षिक प्रतिवेदन और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने के प्रावधान और समय-सीमा के बारे में बताने के लिए भी कहा है। मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में बताया है कि:-

"समय-सीमा जीएफआर के नियम 237 के अनुसार है।"

4. समिति ने मंत्रालय से पूछा कि एनपीटीआई को सरकार द्वारा वित्त पोषण की क्या पद्धति है। मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत विवरण **परिशिष्ट-एक** में दिया गया है।

5. सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति की पाँचवीं लोक सभा के पहले और दूसरे प्रतिवेदन तथा छठी लोक सभा के दूसरे प्रतिवेदन, जिन्हें क्रमश: 08 मार्च 1976, 12 मई 1976 और 22 दिसम्बर 1977 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, में अंतर्विष्ट सिफारिशों के संबंध में, संगठनों/ निगमों/ सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के वार्षिक प्रतिवेदन और लेखापरीक्षित लेखे, लेखा वर्ष की समाप्ति के नौ माह के भीतर सभा पटल पर रखे जाने आवश्यक हैं। इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए वार्षिक प्रतिवेदन और वार्षिक लेखाओं के संकलन और उनकी लेखापरीक्षा के लिए उचित समय-सारणी निर्धारित की जानी चाहिए। समिति ने यह महसूस किया कि वार्षिक लेखाओं के संकलन और उन्हें लेखापरीक्षा के लिए प्रस्तुत करने के लिए सामान्यतः तीन माह की अवधि पर्याप्त होगी; लेखाओं की लेखापरीक्षा, प्रतिवेदन के मुद्रण और इसे सभा पटल पर रखने हेतु सरकार के पास भेजने के लिए अगले 6 माह दिए जा सकते हैं। यदि किसी कारणवश, संगठनों/निगमों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के वार्षिक प्रतिवेदन और लेखापरीक्षित लेखे नौ माह की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर नहीं रखे जा सके, तो संबंधित मंत्रालय को उपरोक्त अवधि की समाप्ति के 30 दिनों के भीतर या जब भी सभा समवेत हो, जो भी बाद में हो, दस्तावेजों को सभा पटल पर न रखे जाने के कारणों को बताते हुए एक विवरण सभा पटल पर रखना चाहिए।

6. सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति, लोक सभा ने राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण प्रतिष्ठान (एनपीटीआई), फरीदाबाद के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के मामले को लिया और उसकी जांच की जिसे विद्युत मंत्रालय द्वारा संसद (लोक सभा) के समक्ष रखा गया था। समिति द्वारा इन अपेक्षित दस्तावेज़ों की जांच के परिणामस्वरूप, समिति ने पाया कि वर्ष 2012-2013 से 2020-2021 के दौरान, एनपीटीआई, फरीदाबाद के अपेक्षित दस्तावेजों को 04 दिनों से लेकर 14 माह के बीच के विलंब से सभा पटल पर रखा गया था। तथापि, वर्ष 2021-22 के दस्तावेजों को निर्धारित समय के भीतर लोक सभा में सभा पटल पर रखा गया था। इन दस्तावेजों को सभा पटल पर रखने में विलंब की अवधि के साथ-साथ वर्ष 2012-2013 से एनपीटीआई, फरीदाबाद के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने की वास्तविक तिथियों को दर्शाने वाला विवरण **परिशिष्ट-दो** में दिया गया है।

7. समिति ने मंत्रालय से एनपीटीआई के वर्ष 2012-2013 से 2020-2021 तक के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में विलंब के कारणों को बताने के लिए भी कहा। मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में बताया है कि:-

> *".....कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न असाधारण परिस्थितियों के कारण वर्ष 2019-2020 और वर्ष 2020-2021 के लिए तुलन-पत्र संकलन में विलंब हुआ है।"*

8. समिति ने मंत्रालय से वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखाओं आदि को अंतिम रूप देने हेतु सामान्य समय-सीमा के संबंध में जानकारी देने और पिछले दस वर्षों (अर्थात 2020-2021 तक) के दौरान प्रत्येक चरण में मंत्रालय और राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण प्रतिष्ठान (एनपीटीआई) द्वारा लिए गए वास्तविक समय के बारे में पूछा। इस पर मंत्रालय द्वारा दी गई सूचना **परिशिष्ट-तीन** में दी गई है।

9. समिति ने यह जानने की इच्छा व्यक्त की कि क्या मंत्रालय और एनपीटीआई ने उन चरणों की पहचान की है जिनमें इन सभी वर्षों के दौरान विलंब हुआ है और यदि हां, तो मंत्रालय इसे कैसे कम करेगा। मंत्रालय ने उत्तर दिया है कि:-

“”””देश भर में एनपीटीआई के 11 संस्थान हैं और विलंब मुख्य रूप से सभी क्षेत्रीय संस्थानों के लेखाओं के समेकन के कारण हुआ है। एनपीटीआई ने वित्त वर्ष 2022-23 से, कॉर्पोरेट कार्यालय में अपने लेखाओं के प्रचालन को केंद्रीकृत कर दिया है, जो समय से रिपोर्ट का संकलन करने और इसे समय पर सभा पटल पर रखने में सुविधा प्रदान करेगा।"

10. समिति ने मंत्रालय और एनपीटीआई से पूछा कि क्या उन्होंने लेखाओं की लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षा अधिकारियों से समय पर अंतिम लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की प्राप्ति और एनपीटीआई से संबंधित दस्तावेजों की समय पर प्राप्ति के लिए कोई मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार की है। मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में एनपीटीआई द्वारा मंत्रालय के परामर्श से विभिन्न गतिविधियों के लिए तैयार की गई निम्नलिखित समय-सीमा प्रस्तुत की है:-

क्रमांक	***कार्य***	***तिथि जिस तक कार्य पूरा किया जाना है***
1.	*एनपीटीआई कॉरपोरेट कार्यालय एवं इसके सभी संस्थानों के तुलन-पत्र तैयार करना*	*25 मई*
2.	*एनपीटीआई के तुलन-पत्र का समेकन*	*10 जून*
3.	*एनपीटीआई की शासी परिषद की स्थायी समिति द्वारा एनपीटीआई के लेखाओं का*	*25 जून*

	अनुमोदन	
4.	*नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ऑडिट को उपलब्ध कराए जाने वाले स्वीकृत और प्रमाणित वार्षिक लेखे*	*30 जून*
5.	*नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ऑडिट को द्वारा ड्राफ्ट एसएआर जारी करना*	*31 अगस्त*
6.	*नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ऑडिट के उत्तर की प्राप्ति*	*14 सितंबर*
7.	*लेखापरीक्षा प्रमाण-पत्र के साथ अंग्रेजी संस्करण में अंतिम एसएआर जारी करना*	*15 अक्टूबर*
8.	*एनपीटीआई की शासी परिषद/आम सभा का अनुमोदन*	*15 नवंबर*
9.	*विद्युत मंत्रालय को वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना*	*25 नवंबर*
10.	*रिपोर्ट को संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखना*	*संसद का शीतकालीन सत्र*

11. समिति ने मंत्रालय से लेखाओं के त्वरित और समय पर संकलन को सुगम बनाने हेतु लेखांकन की प्रक्रिया के डिजिटलीकरण और कम्प्यूटरीकरण की स्थिति के बारे में जानने की इच्छा व्यक्त की। मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में बताया है कि:

"एनपीटीआई त्वरित और समय पर संकलन को सुगम बनाने हेतु ई-ऑफिस को लागू करने की प्रक्रिया में है।"

12. तत्पश्चात, समिति ने मंत्रालय से आगे पूछा कि क्या वार्षिक प्रतिवेदन और लेखापरीक्षित लेखाओं का समय पर संकलन सुनिश्चित करने तथा सीएंडएजी की लेखापरीक्षा के समय लेखापरीक्षा प्रश्नों को कम करने हेतु एनपीटीआई के पास कोई आंतरिक लेखापरीक्षा तंत्र है। मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में बताया है कि:

"हां, आंतरिक लेखा परीक्षा एक समर्पित टीम के माध्यम से की जाती है तथा सीएंडएजी द्वारा उठाए गए प्रश्नों को कम करने में सहायता मिलती है।"

13. समिति ने मंत्रालय से यह भी जानने की इच्छा व्यक्त की कि क्या संगठन के दस्तावेजों को समय पर सभा पटल पर रखने को सुनिश्चित करने हेतु इस संबंध में कार्य की प्रगति की निगरानी के लिए मंत्रालय में कोई आंतरिक तंत्र है। मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में बताया है कि:-

"मंत्रालय इस संबंध में विभिन्न बैठकों के माध्यम से समय-समय पर समीक्षा कर रहा है।"

14. समिति ने मंत्रालय से निर्धारित अवधि के भीतर दस्तावेजों का समय से संसद के समक्ष सभा पटल पर रखा जाना सुनिश्चित करने हेतु मंत्रालय और एनपीटीआई दोनों द्वारा किए जाने वाले उपचारात्मक उपायों पर एक नोट प्रस्तुत करने के लिए कहा। मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में बताया है कि:-

"एनपीटीआई ने विद्युत मंत्रालय के परामर्श से विभिन्न गतिविधियों के लिए एक समय-सीमा निर्धारित की है। वित्त वर्ष 2022-23 से, एनपीटीआई ने कॉर्पोरेट कार्यालय में अपने लेखाओं के प्रचालन को केंद्रीकृत कर दिया है। एनपीटीआई भी जल्द से जल्द ई-ऑफिस शुरू करने की प्रक्रिया में है। इन सभी पहलों से दस्तावेजों को समय से संसद के समक्ष सभा पटल पर रखना सुनिश्चित होगा।"

15. समिति ने मंत्रालय से यह जानने की इच्छा व्यक्त की कि क्या मंत्रालय ने दस्तावेजों को सभा पटल पर रखा जाना सुनिश्चित करने हेतु सूचना प्रौद्योगिकी की मदद ली है। मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में बताया है कि:-

"एनपीटीआई त्वरित और समय से संकलन की सुविधा के लिए ई-ऑफिस को लागू करने की प्रक्रिया में है।"

16. वर्ष 2013-2014 से 2020-2021 तक के राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण प्रतिष्ठान (एनपीटीआई), फरीदाबाद के वार्षिक प्रतिवेदन और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के मामले की आगे जांच करने हेतु, समिति ने विद्युत मंत्रालय और एनपीटीआई, फरीदाबाद के प्रतिनिधियों को 25 जुलाई, 2022 को समिति के समक्ष उपस्थित होने और मौखिक साक्ष्य देने का अनुरोध किया।

17. मौखिक साक्ष्य के दौरान, मंत्रालय के प्रतिनिधि ने अपेक्षित दस्तावेजों को सभा पटल पर रखे जाने में हुए विलंब के संबंध में निम्नलिखित बताया:

"मैं वर्ष 2019-20 के वार्षिक प्रतिवेदन के विलंब पर आता हूँ। हमने सभी तारीखें दे दी हैं। महोदय, यदि आप देखें तो दो अवधियाँ ऐसी हैं जिनमें असाधारण विलंब हुआ है। मैंने इसकी जांच की थी और इस पर चर्चा की थी। 31 मार्च, 2020 से 3 फरवरी, 2021 तक, उन्होंने लेखाओं के संकलन में लगभग 10 महीने लिए। उनके पास 11 संस्थान हैं और ये मैनुअल लेखा रखते हैं। इसलिए सामान्य वर्ष में वे एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को हायर करते हैं जो संस्थानों में जाता है और इन दस्तावेजों का संकलन करता है। महोदय, आप जानते हैं, कोविड और कई बार राज्यों में कई लॉकडाउन के कारण उन्हें कठिनाई हुई जो लेखाओं के संकलन में विलंब का मुख्य कारण था। उन्होंने प्रणाली में सुधार किया है। दूसरा विलंब जो 2 अगस्त 2021 से हुआ जब सीएजी द्वारा अंतिम

लेखा परीक्षा रिपोर्ट जारी की गई थी और जनरल बॉडी द्वारा इसे स्वीकार किया गया था। तो, यह देरी इसलिए हुई क्योंकि एनपीटीआई ने विद्युत मंत्रालय को लिखा था लेकिन इसका अनुवर्तन नहीं किया जा सका क्योंकि एनपीटीआई के पास पूर्णकालिक डीजी नहीं था, कोई कार्यवाहक था और इसलिए यह अन्तराल आया। प्रारंभ में, हमारे वरिष्ठ आर्थिक सलाहकार कार्यवाहिक थे। इसलिए, पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया और वे इसे आगे नहीं बढ़ा सके। मैंने अपने आर्थिक सलाहकार कार्यवाहक को भी अनुदेश जारी किया है कि भविष्य में हमें बहुत सावधान रहना होगा क्योंकि यह संसदीय मामला है।

ऐसा नहीं होना चाहिए महोदय। 2021 में भी, 25 जून से 6 जनवरी तक विलंब की एक बड़ी अवधि है। वहां जिन-लेखापरीक्षित लेखाओं की लेखापरीक्षा नहीं की गई है उनका अतिरिक्त सचिव की अध्यक्षता वाली स्थायी समिति द्वारा अनुमोदित किया जाना आवश्यक है और उसके बाद इन लेखाओं को लेखापरीक्षा और टिप्पणियों के लिए सीएजी को भेजा जाता है और अंत में इन्हें शासी परिषद द्वारा अनुमोदित किया जाता है। इसलिए, जब मैंने रिकॉर्ड देखा, तो उनके पास उस वर्ष के लिए स्वीकृत बजट नहीं था जिसके लिए वे लेखाओं को पास करवा रहे थे। इसलिए, स्थायी समिति ने उनसे कहा कि वे पहले अपना बजट स्वीकृत करवाएं। क्योंकि एनपीटीआई में कोई नियमित डीजी नहीं था इसलिए चूक हुई। अब सितंबर, 2021 में नियमित डीजी ने कार्यभार ग्रहण किया है..... दूसरी बार स्थायी समिति और शासी निकाय में उन्हें आना पड़ा। महोदय, हम स्वीकार करते हैं कि यह विलंब टाला जा सकता था और ऐसा नहीं होना चाहिए। हम माननीय समिति को आश्वस्त कर रहे हैं कि हमने एक प्रक्रिया स्थापित की है और भविष्य में ऐसा नहीं होगा।"

एनपीटीआई, फरीदाबाद के अपेक्षित दस्तावेजों को समय पर सभा पटल पर रखा जाना सुनिश्चित करने हेतु मंत्रालय के प्रतिनिधि ने आगे बताया कि:-

.."एनपीटीआई ने अब अपनी लेखा प्रक्रियाओं को केंद्रीकृत कर दिया है। उनके सभी लेखे अब केंद्रीय रूप से बनाए जाते हैं। इसलिए, 11 संस्थानों के संकलन और फिर समेकन में अब भविष्य में विलंब नहीं होना चाहिए।"

....."महोदय, मैं माननीय समिति को बताना चाहता हूं कि इस वर्ष के लिए जो समाप्त हो चुका है, यानी मार्च 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए ये कदम उठाए गए हैं। हमें विश्वास है कि इसे संसद के आगामी शीतकालीन सत्र में सभा पटल पर रखा जाएगा।"

टिप्पणियां/सिफारिशें

18. राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण प्रतिष्ठान (एनपीटीआई), फरीदाबाद के वर्ष 2012-2013 से 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन और लेखापरीक्षित लेखाओं, जिन्हें विद्युत मंत्रालय द्वारा लोक सभा के पटल पर रखा गया था, की जांच से समिति पाती है कि एनपीटीआई फरीदाबाद के ये अपेक्षित दस्तावेज लगातार विलंब के साथ सभा पटल पर रखे गए थे। समिति अपने पिछले प्रतिवेदनों में इस समिति द्वारा की गई सिफारिशों की मंत्रालय और संगठन, दोनों द्वारा की गई इस अवहेलना का संज्ञान लेती है।

19. समिति यह जानकर निराश है कि विद्युत मंत्रालय ने 2012-2013 से 2020-2021 के लिए इन दस्तावेजों को सभा पटल पर रखने में विलंब के कारणों के बारे में समिति की अग्रिम प्रश्नावली का उचित लिखित उत्तर प्रस्तुत नहीं किया है। मंत्रालय ने केवल कोविड महामारी को 2019-2020 और 2020-2021 के लिए विलंब का कारण बताया और 2019-2020 से पहले के पिछले वर्षों के लिए विलंब के कारणों का उल्लेख नहीं किया। समिति पिछले वर्षों में विलंब के कारणों और प्रश्नावली का अपूर्ण उत्तर प्रस्तुत करने के कारणों के बारे में जानना चाहती है ।

20. समिति को अवगत कराया गया कि विलंब का एक कारण इसके 11 क्षेत्रीय संस्थानों/अधीनस्थ शाखाओं से एकत्र किए गए लेखाओं के समेकन में लगने वाला समय था। समिति को अवगत कराया गया है कि एनपीटीआई के लेखापरीक्षित लेखाओं का रख-रखाव अब कॉरपोरेट कार्यालय में केन्द्रीय रूप से किया जा रहा है। समिति महसूस करती है कि इस संबंध में एनपीटीआई द्वारा हाल ही में किए गए प्रयासों से लेखाओं के समेकन में लगने वाले समय में काफी कमी आएगी। तथापि, समिति का मत है कि यदि एनपीटीआई ने लेखा तैयार करने और उनके संकलन के लिए डिजिटल तरीकों का उपयोग पहले किया होता, तो विलंब नहीं हुआ होता।

21. समिति को अवगत कराया गया कि विलंब का प्रशासनिक कारण एनपीटीआई में नियमित/पूर्णकालिक महानिदेशक (डीजी) का न होना था। इसके परिणामस्वरूप एनपीटीआई के बजट को समय पर अनुमोदित नहीं किया जा सका और परिणामस्वरूप, लेखाओं को स्थायी समिति द्वारा अनुमोदित नहीं

किया गया, जिससे लेखापरीक्षा के लिए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को लेखाओं को प्रस्तुत करने में और देरी हुई। समिति का विचार है कि मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन संगठन में रिक्तियों को भरना एक नियमित प्रक्रिया होनी चाहिए थी और इसलिए मंत्रालय द्वारा इस पर पहले ही कार्य किया जाना चाहिए था। समिति का मानना है कि एनपीटीआई के शीर्ष पदों को नहीं भरे जाने के कारण अपेक्षित दस्तावेजों को मंजूरी मिलने में काफी देरी हुई और बाद में लेखापरीक्षित लेखाओं को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया बाधित हुई। समिति मंत्रालय से सिफारिश करती है कि वह सभी रिक्त पदों, विशेष रूप से उच्च स्तरों पर, बिना किसी विलंब के भरने में सक्रिय हो ताकि ऐसी स्थिति से बचा जा सके।

22. समिति यह नोट करके भी संतुष्ट है कि एनपीटीआई फरीदाबाद के वर्ष 2012-2013 से वर्ष 2020-2021 के अपेक्षित दस्तावेजों को सभा पटल पर रखने में विलंब के कारणों को स्पष्ट करने के लिए इस समिति के समक्ष उपस्थित होने के लिए कहे जाने के बाद, वर्ष 2021-22 के दस्तावेजों को विद्युत मंत्रालय द्वारा निर्धारित समय के भीतर लोक सभा के पटल रखा गया था। समिति इन अपेक्षित दस्तावेजों को समय पर सभा पटल पर रखने की दिशा में मंत्रालय और एनपीटीआई, दोनों द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना करती है। समिति आशा करती है कि ऐसे प्रयास भविष्य में भी जारी रहेंगे ताकि ये अपेक्षित दस्तावेज हर वर्ष निर्धारित समय के भीतर सभा पटल पर रखे जा सकें। समिति मंत्रालय से यह भी सिफारिश करती है कि वह विलंब के मामले में अधिकारियों के विरुद्ध उचित कार्रवाई करके मंत्रालय और संगठन, दोनों स्तरों पर निगरानी और जवाबदेही सुनिश्चित करे।

नई दिल्ली
29 मार्च 2023
चैत्र 8, 1945 (शक)

श्री गिरीश चन्द्र
सभापति
सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति
लोक सभा

<u>परिशिष्ट-एक</u>

<u>देखिए प्रतिवेदन का पैरा 04</u>

विद्युत मंत्रालय द्वारा वर्ष 2012-2013 से 2021-2022 के लिए राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण प्रतिष्ठान (एनपीटीआई), फरीदाबाद को प्रदत्त अनुदानों के ब्यौरे दर्शाने वाला विवरण।

क्र.सं.	वित्तीय वर्ष	सहायता अनुदान (रुपये में)		
		पूंजी शीर्ष	गैर-पूंजी शीर्ष	कुल
1	2012-13	05,00,00,000	5,76,00,000	10,76,00,000
2	2013-14	03,63,00,000	6,40,00,000	10,03,00,000
3	2014-15	08,89,39,000	6,40,00,000	15,29,39,000
4	2015-16	23,60,00,000	6,40,00,000	30,00,00,000
5	2016-17	33,00,00,000	7,40,00,000	40,40,00,000
6	2017-18	49,80,00,000	7,40,00,000	57,20,00,000
7	2018-19	90,15,00,000	10,40,00,000	100,55,00,000
8	2019-20	13,90,71,000	15,00,00,000	28,90,71,000
9	2020-21	44,68,000	18,00,00,000	18,44,68,000
10	2021-22	04,07,02,359	12,00,00,000	16,07,02,359
	कुल	**232,49,80,359**	**95,16,00,000**	**327,65,80,359**

परिशिष्ट-दो

देखिए प्रतिवेदन का पैरा 06

राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण प्रतिष्ठान(एनपीटीआई), फरीदाबाद के वर्ष 2015-2016 से 2020-2021 तक के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने की तिथियों को दर्शाने वाला विवरण

वित्त वर्ष	वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने की अपेक्षित तिथि	वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने की वास्तविक तिथि	विलंब की अवधि (लगभग)
2012-2013	31.12.2013	24.07.2014	6 माह
2013-2014	31.12.2014	13.08.2015	7 माह
2014-2015	31.12.2015	15.12.2016	11 माह
2015-2016	31.12.2016	03.08.2017	7 माह
2016-2017	31.12.2017	04.01.2018	4 दिन
2017-2018	31.12.2018	08.01.2019	8 दिन
2018-2019	31.12.2019	11.02.2021	13 माह
2019-2020	31.12.2020	24.03.2022	14 माह
2020-2021	31.12.2021	04.08.2022	7 माह
2021-2022	31.12.2022	15.12.2022	कोई विलंब नहीं

<u>परिशिष्ट-तीन</u>

<u>देखिए प्रतिवेदन का पैरा 08</u>

राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण प्रतिष्ठान (एनपीटीआई), फरीदाबाद के वर्ष 2012-2013 से 2021-2022 तक के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को अंतिम रूप दिए जाने से संबंधित कालक्रमानुसार विवरण।

उप-प्रश्न	बिंदु	पिछले दस वित्तीय वर्षों के लिए वर्ष-वार विवरण									
		2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
(एक)	लेखापरीक्षा प्राधिकारियों से संपर्क करने की तिथि	सांविधिक लेखापरीक्षा लागू नहीं है। संकलन के बाद, एनपीटीआई के वार्षिक लेखे लेखापरीक्षा के लिए नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को प्रस्तुत किए जा रहे हैं									
	लेखा वर्ष समाप्त होने के बाद लिया गया समय	- लागू नहीं -									
(दो)	सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति की तिथि	सांविधिक लेखापरीक्षा लागू नहीं है। संकलन के बाद, एनपीटीआई के वार्षिक लेखे लेखापरीक्षा के लिए नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को प्रस्तुत किए जा रहे हैं									
	लेखापरीक्षकों की नियुक्ति के लिए लेखापरीक्षा प्राधिकारियों से मिलने के बाद लिया गया समय	- लागू नहीं -									
(तीन)	वार्षिक लेखों के संकलन की तिथि	30.05.13	30.06.14	30.06.15	30.06.16	15.06.17	15.05.18	01.07.19	04.05.20	25.06.21	18.06.22 *1

	लेखा वर्ष समाप्त होने के बाद लिया गया समय	59 दिन	90 दिन	90 दिन	90 दिन	75 दिन	44 दिन	91 दिन	33 दिन	85 दिन	-
(चार)	लेखापरीक्षकों को वार्षिक लेखे प्रस्तुत करने की तिथि	26.07.13	28.07.14	18.01.16	16.11.16	11.07.17	29.06.18	12.12.19	05.04.21	06.01.22	-
	संबंधित लेखा वर्ष की समाप्ति के बाद लिया गया समय	116 दिन	118 दिन	292 दिन	229 दिन	101 दिन	89 दिन	255 दिन	369 दिन	280 दिन	-
(पांच)	सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा वार्षिक लेखों की लेखापरीक्षा के लिए तिथि एवं अवधि	- लागू नहीं -									
(छः)	लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षा के दौरान / वार्षिक लेखों के पूरा होने के बाद उठाए गये प्रश्नों की तिथि	01.11.13	28.11.14	10.05.16	17.02.17	11.10.17	18.10.18	20.03.20	21.06.21	18.04.22	-
	लेखापरीक्षा प्राधिकारियों को लेखापरीक्षा के दौरानवार्षिक /	99 दिन	124 दिन	114 दिन	94 दिन	93 दिन	112 दिन	99 दिन	78 दिन	103 दिन	-

	लेखों को पूरा करने के बाद प्रश्न उठाने में लेखापरीक्षकों द्वारा लिया गया समय										
(सात)	वह तिथि जब लेखापरीक्षकों को लेखापरीक्षा प्रश्नों के उत्तर प्रस्तुत किए गए थे	11.11.13	22.12.14	20.05.16	27.02.17	16.10.17	23.10.18	28.04.20	30.06.21	22.04.22	-
	प्रश्नों को हल करने में लगने वाला समय	10 दिन	23 दिन	10 दिन	10 दिन	05 दिन	05 दिन	38 दिन	09 दिन	04 दिन	-
(आठ)	वह तिथि जिस पर लेखापरीक्षा प्राधिकारियों द्वारा ड्राफ्ट लेखापरीक्षा रिपोर्ट जारी की गई थी	- लागू नहीं -									
	वार्षिक लेखों की लेखा परीक्षा के बाद लिया गया समय	- लागू नहीं -									
(नौ)	वह तिथि जिस पर संस्थान को अंतिम लेखापरीक्षा	26.12.13	19.03.15	20.07.16	30.03.17	10.11.17	31.10.18	01.04.20	02.08.21	18.05.22	-

	रिपोर्ट प्राप्त हुई										
	ड्राफ्ट रिपोर्ट जारी होने के बाद लिया गया समय	- लागू नहीं -									
(दस)	संस्थान की अंतिम लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए वार्षिक लेखा प्राप्त करने के बाद लेखा परीक्षा अधिकारियों द्वारा लिया गया कुल समय	154 दिन	235 दिन	184 दिन	136 दिन	123 दिन	126 दिन	111 दिन	120 दिन	133 दिन	-
(ग्यारह)	वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद लिया गया समय; और इसके साथ	269 दिन	352 दिन	475 दिन	364 दिन	223 दिन	213 दिन	365 दिन	488 दिन	412 दिन	-
	अंतिम लेखापरीक्षा रिपोर्ट की प्राप्ति होने के बाद लिया गया समय	उसी दिन									
(बारह)	वार्षिक रिपोर्ट को अंतिम रूप देने के बाद लिया गया समय	88 दिन	62 दिन	123 दिन	83 दिन	39 दिन	57 दिन	271 दिन	186 दिन	-	-

	अंतिम लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद लिया गया समय	88 दिन	62 दिन	123 दिन	83 दिन	39 दिन	57 दिन	271 दिन	186 दिन	-	-
(तेरह)	जिस तिथि को दस्तावेज अनुवाद एवं मुद्रण हेतु लिए गए थे	25.03.14	21.05.15	21.11.16	23.06.17	20.12.17	28.12.18	27.01.21	05.02.22	-	-
	प्रत्येक चरण में कार्य को पूरा करने में लगने वाला समय									-	-
(चौदह)	हर चरण में कार्य पूरा होने के बाद सदन में रखे जाने के लिए दस्तावेजों को मंत्रालय भेजने की तिथि	19.05.14	23.07.15	24.11.16	18.07.17	21.12.17	28.12.18	03.02.21	22.02.2022	-	-
	मंत्रालय को दस्तावेजों को भेजने में संगठनों द्वारा लिया गया समय	54 दिन	62 दिन	03 दिन	24 दिन	01 दिन	01 दिन	07 दिन	17 दिन	-	-
(पंद्रह)	सदन में दस्तावेजों को रखे जाने की तिथि	24.07.14	13.08.15	15.12.16	03.08.17	04.01.18	08.01.19	11.02.21	24.02.22	*2	*3
	संगठन से दस्तावेज	65 दिन	20 दिन	20 दिन	15 दिन	13 दिन	10 दिन	08 दिन	30 दिन	-	-

	प्राप्त होने के बाद लिया गया समय										

**1 वित्तीय वर्ष 2021-22 के वार्षिक लेखों का संकलन कर लिया गया है और एनपीटीआई की स्थायी समिति द्वारा दिनांक 19.07.2022 को होने वाली अपनी अगली बैठक में विचार किया जाएगा और बाद में इसे लेखापरीक्षा के लिए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पास भेजा जाएगा। 2021-22 के वार्षिक लेखे अगले दिन अर्थात 20.07.2022 को लेखापरीक्षा के लिए नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को भेजे जाने की उम्मीद है।*

**2 वित्त वर्ष 2020-21 के लिए वार्षिक प्रतिवेदन और लेखापरीक्षित लेखा तैयार किया गया है और इसे एनपीटीआई की शासी परिषद और आम सभा की अगली बैठक में रखा जाएगा जो दिनांक 22.07.2022 को आयोजित होने वाली है। इसके बाद इन्हें मानसून सत्र 2022 में रखे जाने की उम्मीद है।*

**3 शीतकालीन सत्र 2022-23 में सभा पटल पर रखे जाने की आशा है।*

परिशिष्ट-चार

सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति (2021-2022)

सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति (2021-2022) की दिनांक 25.07.2022 को हुई बारहवीं बैठक के कार्यवाही सारांश के उद्धरण।

उपस्थित

श्री रितेश पाण्डेय - ***सभापति***

सदस्य

(लोक सभा)

2. डॉ. ए. चेल्लाकुमार
3. श्री पल्लब लोचन दास
4. श्रीमती अपरूपा पोद्दार
5. श्री सप्तगिरी शंकर उलाका

सचिवालय

1. श्रीमती सुमन अरोड़ा - संयुक्त सचिव
2. श्री सुंदर प्रसाद दास - निदेशक
3. श्री उत्तम चंद भारद्वाज - अपर निदेशक

साक्षी

(एक) विद्युत मंत्रालय

1. श्री आलोक कुमार - सचिव
2. श्री अजय तिवारी - अपर सचिव
3. श्री रघुराज माधव राजेंद्रन - संयुक्त सचिव (संसद)

(दो) राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण प्रतिष्ठान (एनपीटीआई), फरीदाबाद

1. डॉ. तृप्ता ठाकुर	-	महानिदेशक
2. श्री एस. कर	-	उप निदेशक (परियोजना)

(तीन) और (चार) x x x x

2. सर्वप्रथम, माननीय सभापति ने समिति की बैठक में सदस्यों का स्वागत किया और उन्हें कार्यसूची से अवगत कराया।

3. तत्पश्चात, समिति ने वर्ष 2013-2014 से 2020- 2021 तक विद्युत मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण प्रतिष्ठान (एनपीटीआई), फरीदाबाद, के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के मामले को लिया।

तत्पश्चात, विद्युत मंत्रालय और राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण प्रतिष्ठान *(एनपीटीआई), फरीदाबाद के साक्षियों को अन्दर बुलाया गया।*

4. सभापति ने समिति की बैठक में विद्युत मंत्रालय और एनपीटीआई, फरीदाबाद के प्रतिनिधियों का स्वागत किया और उन्हें बैठक की कार्यसूची से अवगत कराया। सभापति ने साक्षियों को कार्यवाही की गोपनीयता के संबंध में, लोक सभा अध्यक्ष के निदेश के निदेश 55(1) के प्रावधानों के बारे में भी बताया।

5. सभापति ने एनपीटीआई के वर्ष 2013-2014 से 2020-2021 तक के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में हुए बारम्बार विलम्ब को इंगित किया।

विद्युत मंत्रालय के सचिव ने अपने प्रशासनिक नियंत्रणाधीन संगठनों के बारे में संक्षिप्त पावर-पॉइंट प्रस्तुतीकरण दिया। तत्पश्चात, सचिव ने एनपीटीआई में प्रशासनिक व्यवस्था, कार्यकलापों, प्रस्तावित पाठ्यक्रमों आदि के बारे में बताया। तत्पश्चात, सचिव ने कोविड-19 के कारण लेखाओं के संकलन में हुए विलम्ब और शासी निकाय द्वारा लेखाओं को स्वीकार करने में हुए विलम्ब तथा लोकसभा के समक्ष वर्ष 2019-2020 के आवश्यक दस्तावेजों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को बताया। वर्ष 2020-2021 के एनपीटीआई के बजट की स्वीकृति न होने और एनपीटीआई के नियमित निदेशक की अनुपस्थिति के कारण भी विलम्ब हुआ। सचिव ने समिति को भविष्य में आवश्यक दस्तावेजों को सभा पटल पर रखने में विलम्ब न होने तथा वर्ष 2021-2022 के आवश्यक दस्तावेजों को शीतकालीन सत्र के दौरान मंत्रालय द्वारा तैयार की गई समयसीमा के अनुसार सभा पटल रखने का आश्वासन दिया। माननीय सभापति ने सचिव को मंत्रालय और संगठनों में नियंत्रण तथा जवाबदेही सुनिश्चित करने का सुझाव दिया। इसके आलावा, सचिव ने बताया कि उन्होंने तंत्र स्थापित कर लिया है और यह भी आश्वासन दिया कि वे समिति की सलाह का अनुपालन करते रहेंगे।

6. सभापति ने निष्पक्ष और स्पष्ट विचारों के लिए विद्युत मंत्रालय और एनपीटीआई, फरीदाबाद के प्रतिनिधियों को धन्यवाद दिया और उनसे उठाए गए प्रश्नों के उत्तर उपलब्ध कराने का आग्रह किया।

तत्पश्चात, साक्षी साक्ष्य देकर चले गए।

7- 10 x x x x

तत्पश्चात, साक्षी साक्ष्य देकर चले गए।

तत्पश्चात, समिति की बैठक स्थगित हुई।

****

<u>परिशिष्ट-पांच</u>

सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति (2022-2023) की 29.03.2023 को हुई चौथी बैठक के कार्यवाही सारांश के उद्धरण।

<u>सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति (2022-23)</u>

समिति की बैठक गुरुवार, 29 मार्च, 2023 को 15:00 बजे से 16:00 बजे तक समिति कमरा सं. 'ग ', संसदीय सौध, नई दिल्ली में हुई।

उपस्थित

श्री गिरीश चन्द्र - ***सभापति***

सदस्य

(लोक सभा)

2. श्री शफीकुर्रहमान बर्क

3. श्री चौधरी मोहन जटुआ

4. श्रीमती अपरूपा पोद्दार

5. श्री टी.एन. प्रथापन

सचिवालय

1.	श्री विनय कुमार मोहन	-	संयुक्त सचिव
2.	श्री नवल के. वर्मा	-	निदेशक
3.	श्री उत्तम चंद भारद्वाज	-	अपर निदेशक

2. सर्वप्रथम, सभापति ने समिति के सदस्यों का बैठक में स्वागत किया और उन्हें कार्यसूची से अवगत कराया।

3. तत्पश्चात, समिति ने निम्नलिखित 6 प्रारूप प्रतिवेदनों और 6 कीगई कार्रवाई- प्रतिवेदनों पर विचार करने और स्वीकार करने के लिए लिया - :

1. x x x x x;
2. x x x x x;
3. x x x x x;
4. x x x x x;
5. x x x x x;
6. राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण प्रतिष्ठान, फरीदाबाद के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में ;
7. x x x x x
8. x x x x x
9. x x x x x
10. x x x x x
11. x x x x x
12. x x x x x

समिति द्वारा 6 प्रारूप प्रतिवेदनों और 6 की-गई कार्रवाई प्रतिवेदनों पर विचार किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया। सभापति को समिति द्वारा इन प्रतिवेदनों को अंतिम रूप देने और लोक सभा में प्रस्तुत करने के लिए प्रधिकृत किया गया ।

xx xx xx xx

xx xx xx xx

(बैठक की शब्दशः कार्यवाही की एक प्रति रखी जाती है।)

इसके बाद समिति स्थगित हो गई।

****